न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

प्रकरण संख्या : 39/2025
जी.सी.एम.एस नं. : 2025/45

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	**अभियुक्त :–** श्री विजय सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री पूनम सिंह निवासी– न्यू बस स्टेण्ड गनोडा, घाटोल, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– रत्नेश जोधपुर मिष्ठान भण्डार, न्यू बस स्टेण्ड गनोडा, घाटोल, बांसवाडा (राज) मो. नं. 8278607407 ।

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 24–02–2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री शशीकांत शर्मा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **22–07–2025** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **27–10–2024** को 1.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉंच हेतु **मैसर्स रत्नेश जोधपुर मिष्ठान भण्डार, न्यू बस स्टेण्ड गनोडा, घाटोल, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री विजय सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री पूनम सिंह** उपस्थित थे। **विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स रत्नेश जोधपुर मिष्ठान भण्डार, न्यू बस स्टेण्ड गनोडा, घाटोल, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर परिसर में **पेडा मावा मिठाई एक ट्रे में लगभग 4 किलोग्राम** रखा पाया। जो मानक स्तर का नही होने का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **खाद्य पदार्थ पेडा मावा मिठाई 2 किग्रा** [illegible] जिनकी कीमत 660/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **खाद्य पदार्थ पेडा मावा मिठाई 2 किग्रा को 4**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.12 15:39:57 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक के जारो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर एवं प्रत्येक प्लास्टिक के जारो में प्रीजरवेटीव फार्मलिन की 40–40 बुन्दे डालकर, चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1976** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/437 दिनांक 18–12–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1321 दिनांक 08–11–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खाद्य पदार्थ पेडा मावा मिठाई** का नमुना कोड क्रमांक **W-1976 Unsafe** पाया गया। उक्त नमूने की पुनः जाँच हेतु विक्रेता द्वारा **एफएसएसए की धारा 46 की उपधारा (4) के तहत नमूने की जाँच हेतु निर्धारित समयावधि में अपील की गई। जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता की अपील पर नमूने की पुनः जाँच हेतु रैफरल फुड लेब**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.12 15:39:57 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

मैसुर भिजवाया गया। आरएफएल मैसूर की जाँच रिपोर्ट सं. **434F/ FSSA/ 2025** दिनांक 16.06.2025 के तहत यह नमूना एफएसएसए की धारा **3(1)(zx)** के तहत **Substandard** होना पाया गया। विक्रेता द्वारा **खाद्य पदार्थ पेडा मावा मिठाई** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 22–07–2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

24–02–2026 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर परिवाद में अंकित आरोपो को स्वीकार कर नरमी का रुख अपनाकर न्यूनतम अर्थ दण्ड से दण्डित करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अप्रार्थी स्वयं द्वारा अपराध स्वीकार किया गया है अतः अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है। अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2024 / 437 दिनांक 18–12–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1321 दिनांक 08–11–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खाद्य पदार्थ पेडा मावा मिठाई** का नमुना कोड क्रमांक **W-1976 Unsafe** पाया गया। **उक्त नमूने की पुनः जाँच हेतु विक्रेता द्वारा एफएसएसए की धारा 46 की उपधारा (4) के तहत पुनः जाँच हेतु निर्धारित समयावधि में अपील की गई। जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता की अपील पर नमूना की पुनः जाँच हेतु रैफरल फुड लेब मैसुर भिजवाया गया। आरएफएल मैसूर की जाँच रिपोर्ट सं. 434F/ FSSA/ 2025 दिनांक 16.06.2025 के तहत यह नमूना एफएसएसए की धारा 3(1)(zx) के तहत Substandard**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.12 15:39:57 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

होना पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत Substandard **खाद्य पदार्थ पेडा मावा मिठाई** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री विजय सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री पूनम सिंह निवासी– न्यू बस स्टेण्ड गनोडा, घाटोल, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– रत्नेश जोधपुर मिष्ठान भण्डार, न्यू बस स्टेण्ड गनोडा, घाटोल, बांसवाडा (राज) को 25,000/– (अक्षरे रू पच्चीस हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 24–02–2026 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.12 15:39:57 IST
Reason: SelfAttested